पत्रांक–2ब०/जला०–01–07/2012 – 107 – /न०वि०एवंआ०वि०

* *स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल*

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, लखीसराय।

पटना, दिनांक– 07/03/2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय के काली पहाड़ी– लाली पहाड़ी में पेयजलापूर्ति योजना हेतु विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में विभागीय राज्यादेश सं०– 5512, दिनांक– 18.11.2009 द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय के काली पहाड़ी– लाली पहाड़ी में पेयजलापूर्ति योजना हेतु कुल ₹221.79 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹50.00 लाख आवंटित की जा चुकी है। विभागीय पत्रांक– 1238, दिनांक– 17.05.2013 द्वारा उक्त योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹350.36824 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013, विभागीय आवंटनादेश सं०– 06, दिनांक– 29.05.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं०– 30, दिनांक– 31.07.2014 द्वारा क्रमशः ₹85.00 लाख, ₹150.00 लाख एवं ₹65.36824 लाख आवंटित करते हुए योजना की सम्पूर्ण राशि ₹350.36824 लाख आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय के पत्रांक– 2180, दिनांक– 01.10.2018 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय आवंटनादेश संख्या– 19, दिनांक– 06.06.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक– 40, दिनांक– 25.01.2018 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

3. वर्णित स्थिति में लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय के काली पहाड़ी– लाली पहाड़ी में पेयजलापूर्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं होने के कारण विभागीय राज्यादेश सं०– 149, दिनांक– 09/03/2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	विभागीय आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	आवंटित राशि	कोषागार से निकासी की गयी राशि	कोषागार से अनिकासी की राशि	आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण वर्त्तमान में आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, लखीसराय	विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013	85.00	0.00	85.00	**85.00**

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र।

4. योजना लोक स्वास्थ्य अंभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक– 1238, दिनांक– 17.05.2013 के दिशा–निर्देश के अनुरूप कराया जाएगा।

5. उक्त आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BCT-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. उक्त आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगर पालिकाओं/नगर परिषद्ों को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011920101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

11. **सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।**

12. राशि का आवंटन इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, लखीसराय एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।

16. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–07/2012 –107– /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 09/03/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

प्रान्त.

पत्रांक–2ब०/जला०–01–07/2012 149 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–9/03/19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय के काली पहाड़ी– लाली पहाड़ी में पेयजलापूर्ति योजना हेतु विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में विभागीय राज्यादेश सं०– 5512, दिनांक– 18.11.2009 द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय के काली पहाड़ी– लाली पहाड़ी में पेयजलापूर्ति योजना हेतु कुल ₹221.79 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹50.00 लाख आवंटित की जा चुकी है। विभागीय पत्रांक– 1238, दिनांक– 17.05.2013 द्वारा उक्त योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹350.36824 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013, विभागीय आवंटनादेश सं०– 06, दिनांक– 29.05.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं०– 30, दिनांक– 31.07.2014 द्वारा क्रमशः ₹85.00 लाख, ₹150.00 लाख एवं ₹65.36824 लाख आवंटित करते हुए योजना की सम्पूर्ण राशि ₹350.36824 लाख आवंटित की जा चुकी है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय के पत्रांक– 2180, दिनांक– 01.10.2018 द्वारा सूचित किया गया कि विभागीय आवंटनादेश संख्या– 19, दिनांक– 06.06.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी। कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक– 40, दिनांक– 25.01.2018 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

3. वर्णित स्थिति में लखीसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय के काली पहाड़ी– लाली पहाड़ी में पेयजलापूर्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013 द्वारा आवंटित राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	विभागीय आवंटनादेश सं० एवं दिनांक	आवंटित राशि	कोषागार से निकासी की गयी राशि	कोषागार से अनिकासी की राशि	आवंटित राशि की निकासी नहीं होने के कारण वर्त्तमान में स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, लखीसराय	विभागीय आवंटनादेश सं०– 19, दिनांक– 06.06.2013	85.00	0.00	85.00	**85.00**

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक– 1238, दिनांक– 17.05.2013 के दिशा–निर्देश के अनुरूप कराया जाएगा।

5. उक्त स्वीकृत ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BCT-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत राशि ₹85.00 लाख (पचासी लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगर पालिकाओं/नगर परिषद्रों को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011920101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

10. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

11. **सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।**

12. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–07/2012 के पृष्ठ सं०– ...35.../टि० पर दिनांक– 07.03.2019... को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 36.... /टि० पर दिनांक– 08.03.2019. को प्राप्त है ।

15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. जिला पदाधिकारी, लखीसराय एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

17. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–07/2012 149 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–9/03/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.19

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द